

15472

शेख

9098/12

9



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20451 551

A 215951

Bh



कोषागार, झाँसी

व्य. प्रो. के. डिया

कोषागार, झाँसी

(1)

विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के भाग ग-2(क-1) (IV) के पेज सं. 16 के क्रम संख्या 263 में लिखित कम्प्यूटर कोड 1039 वाकै मौजा हंसारीगिर्द ब्लाक बबीना तहसील व जिला झाँसी के अनुसार झाँसी-ललितपुर रोड़ के किनारे के नम्बरान की दर 1,00,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर। उक्त आराजी झाँसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी होने के कारण सम्पत्ति के मूल्यांकन में 10% की वृद्धि की गयी है।

स्टाम्प का कुल योग

- 1,46,500/-

दस्तावेज का प्रकार

- बैनामा

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित

मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य

20,90,000/-

1234/1

1227

1227/1

0.0172

0.0786

0.0652

महोदय

शेख

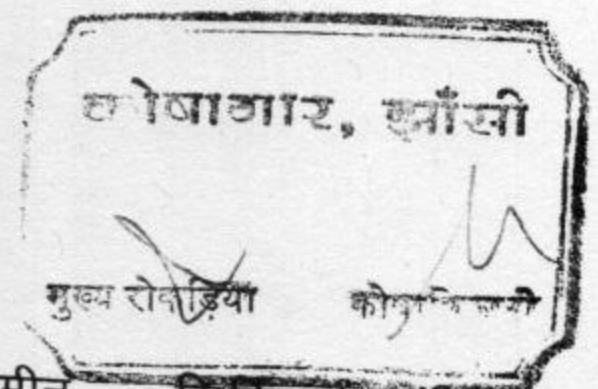
Anid



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

561453

(7)



खाता सं०	आराजी नम्बर	रकवा	किस्म जमीन	सिंचित/असिंचित
00005	1220 मि०	0.356 हे०	राकर सोयम	असिंचित
	1234 / 1 मि०	0.344 हे०	राकर सोयम	असिंचित
	1227	1.572 हे०	राकर सोयम	असिंचित
	1218 मि०	0.190 हे०	राकर सोयम	असिंचित
	1218	0.024 हे०	राकर सोयम	असिंचित
	1227 / 1 मि०	1.303 हे०	राकर सोयम	असिंचित

कुल 6 किता रकवा 3.789 हे० का 1/5 हिस्सा रकवा 0.798 हे० में से अपना 1/4 हिस्सा यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा रकवा 0.190 हेक्टेयर वय किया गया है। विक्रित आराजी में विक्रेता का कोई भी अंश शेष नहीं बचा है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है।

[Signature]

[Signature]

राजकीय कोषागार, झाँसी

कोड संख्या-23

क्रमांक 21144 मूल्य 200000/-

नाम ब्रेता 21143 के साथ -

पिता, पत्नी

निवासी

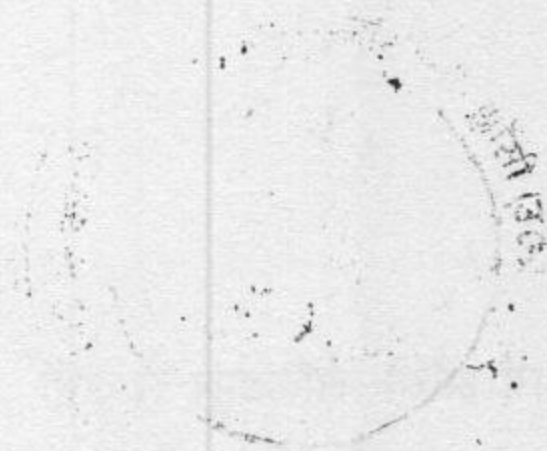
राजकीय

जिला

दिनांक

21-9-12

रोकडिया



Handwritten signature

Handwritten signature

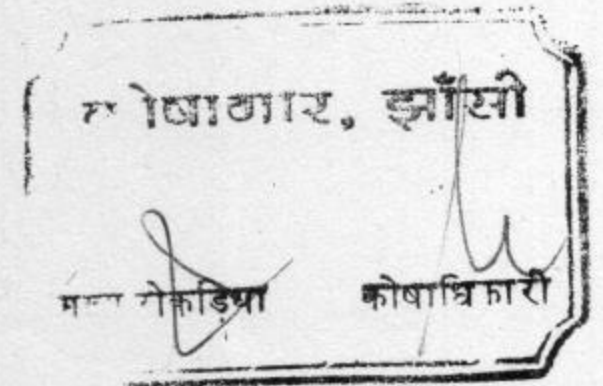
Handwritten signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 215952

(2)



विक्रय मूल्य	—	20,00,000 / —
मौजा	—	हंसारीगिर्द
ब्लाक	—	बबीना
सम्पत्ति का प्रकार	—	कृषिकीय
मापन की इकाई	—	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	—	0.190 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति	—	विक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग झाँसी-ललितपुर से लगी हुई एवं आबादी से 200 मीटर के अन्तर्गत स्थित है।
पेड़ों का मूल्यांकन	—	कोई पेड़ नहीं है।
बोरिंग / कुआँ / अन्य	—	कोई कुआँ नहीं है।

[Signature]

[Signature]

सम्बन्धीय कोषागार, झाँसी

संख्या-23

क्रमांक 21145 मूल्य 208500/-

नाम क्रेता 21143 हे साध-

पिता, पत्नी

निवासी

तहसील जिला

दिनांक 21-10-12

सोफ्टिया

विक्रय पत्र

2,000,000.00 / 2,090,000.00

10,000.00

20

10,020.00

700

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

प्रतिफल

मालियत

श्री

मनीष राय

पुत्र श्री

रमेश चन्द्र राय

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी क्यू 8 रसबहार कालोनी तहसील व जिला झाँसी

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/10/2012 समय 10:46AM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजनाथ राम

उप निबन्धक द्वितीय

झाँसी

19/10/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता

श्री छत्रपाल सिंह यादव

पुत्र श्री तुलसीराम

पेशा व्यापार

निवासी 50 पुराना रायगंज सीपरी बाजार तहसील
व जिला झाँसी



श्री मनीष राय

पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय

पेशा व्यापार

निवासी क्यू 8 रसबहार कालोनी तहसील व जिला
झाँसी



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री नवीन श्रीवास्तव

पुत्र श्री मधुरेश श्रीवास्तव

पेशा व्यापार

निवासी 590/1 कमल सिंह कालोनी तहसील व जिला झाँसी

व श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान

पुत्र श्री बाबूलाल चौहान

पेशा व्यापार

निवासी 432 कमल सिंह कालोनी हसाईटोला तहसील व जिला

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

निष्पादको की पहचान यथाप्रलेख पैनकार्ड/पासपोर्ट से की गयी है



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजनाथ राम

उप निबन्धक द्वितीय

झाँसी

19/10/2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 215953

(3)



प्रथम पक्ष की संख्या - एक

द्वितीय पक्ष की संख्या - एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष-श्री छत्रपाल सिंह यादव पुत्र श्री तुलसीराम

निवासी-50, पुराना रायगंज सीपरी बाजार,

तहसील व जिला झाँसी (पहचान, पेन कार्ड सं.

AAFPY1008F से की गयी है)

राजकीय कोबागार, झाँसी

कोड संख्या-23

क्रमांक 21146 मूल्य 20000/-

नाम क्रेता 21146 के साथ-

पिता, पत्नी

निवासी

तहसील जिला

दिनांक 21-12-2012

रजिस्ट्रार

विक्रेता

Registration No.: 9098

Year: 2012

Book No.: 1

0101 छत्रपाल सिंह यादव

तुलसीराम

50 पुराना रायगंज सीपरी बाजार तहसील व जिला झाँसी

व्यापार



Handwritten signature of the person.

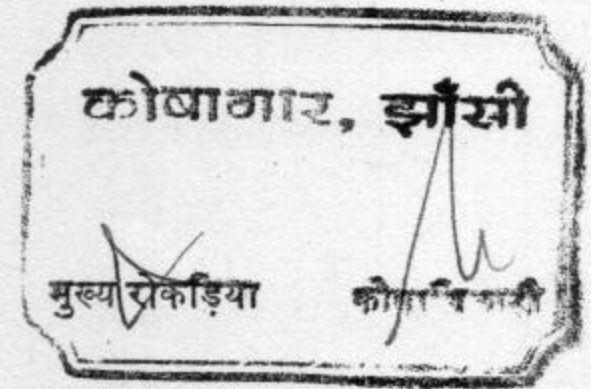




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 215954

(4)



नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष-जय बाबा प्रोपर्टीस एण्ड डेबलपर्स प्रा० लि०

ऑफिस-क्यू-8, रस बहार कॉलौनी, झाँसी द्वारा
डायरेक्टर मनीष राय पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय
निवासी-क्यू-8, रस बहार कॉलौनी, झाँसी
(पहचान, भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट सं०
G 6153047 से की गयी है)



राजकीय कोषागार, झांसी

कोड संख्या-23

क्रमांक 21147 मूल 208801

नाम केता 21143 केसाव

पिता, राजी

निवासी

तहसील जिला

दिनांक 21-फर-12

केता

Registration No. : 9098

Year : 2012

Book No. : 1

0201

मनीष राय

रमेश चन्द्र राय

क्यू 8 रसबहार कालोनी तहसील व जिला झांसी

व्यापार



Handwritten signature in black ink.

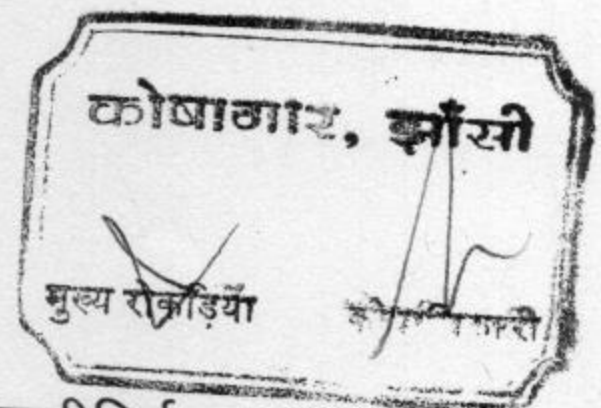




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 215955

(5)



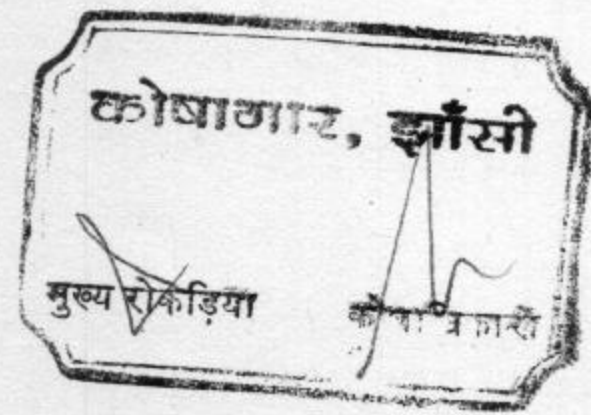
सम्पत्ति का विवरण — आराजी भूमिधरी वाकै मौजा हंसारीगिर्द ब्लाक बबीना परगना व जिला झाँसी जिसके आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज है। विक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग झाँसी-ललितपुर से लगी हुई एवं आबादी से 200 मीटर के अन्तर्गत स्थित है। दरसावेज हाजा के साथ आराजी मुवैया का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित आराजी नम्बरान वरंग लाल से दर्शाये गये है। जो बैनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं विशुद्ध कृषिकीय भूमि है। विक्रित आराजी में कोई पेड़, कुँआँ आदि नहीं है। विक्रित आराजी राकर सोयम असिंचित/बंजर है। वयशुदा आराजी का नया लगान रुपया 10 पैसा सालाना है। वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित आराजी विक्रेता ने संयुक्त रूप से जरिये बैनामा दिनांक 10-10-2005 ई0 श्री शिव चरन पुत्र स्व0 श्री अजुद्धी से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी में फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड 1429 के पृष्ठ सं. 31/46 पर क्रम संख्या 5644 दिनांक 14-11-2005 ई0 दर्ज है। जिसमें विक्रेता 1/4 भाग मालिक व काबिज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 215956

(6)



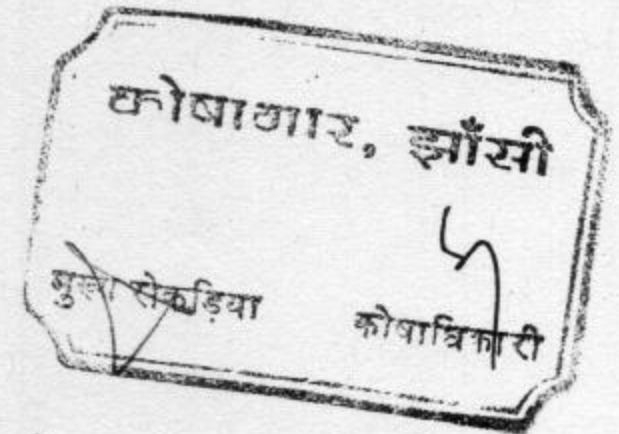
है जिसे वय कर रहा है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल. आर. एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। तहसील सदर के राजस्व अभिलेखों में भी विक्रित भूमि कृषिकीय भूमि के रूप में दर्ज है। इस प्रकार विक्रित भूमि राजस्व अभिलेखों में एवं मौके के अनुसार लगान अदा करने वाली कृषिकीय भूमि है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 967802

(8)



विक्रय मूल्य— 20,00,000/- बीस लाख रुपया जो जरिये चैक नं० 221749
दिनांक 21-09-2012 ई० ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स झाँसी
द्वारा पूर्व प्राप्त कर लिया है।

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य } 20,90,000/- बीस लाख नब्बे हजार रुपया से अधिक नहीं है। जिसमें भूमि की कीमत 19,00,000/- रुपया है व 10 प्रतिशत अतिरिक्त मालियत 1,90,000/- रुपया है इस प्रकार कुल मालियत 20,90,000/- पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

Rs. 2000

Rs. 2000

THE THOUSAND RUPES

पाँच हजार रुपये

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

(1)

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

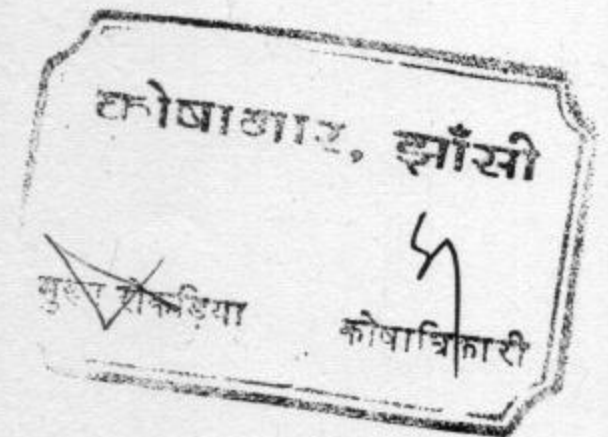
भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 967801

(9)



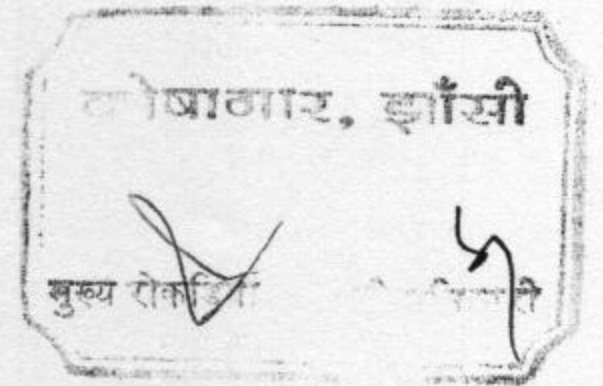
मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ, जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक राफ व वरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध मे कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है न ही आराजी किसी जमानत, डिग्री, ऋण आदि में मगफूल है। चूँकि मुझ विक्रेता को घरु कार्य हेतु रुपयों की जरूरत है अतः मैं विक्रेता अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करता हूँ, कब्जा दखल मालिकाना आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूवी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावें, कागजात मालिकान से मेरा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें। आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा व मेरे



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 315947

(10)



वारिसान को कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आनन्द होगा। काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का देादार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तथा बिना किसी जबर या दबाव के यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।

भारत के न्यायपालिका नॉन जूडिशियल

एक हजार रुपये

₹ 1000

₹ 1000

भारत के न्यायपालिका नॉन जूडिशियल

भारत के न्यायपालिका नॉन जूडिशियल
एक हजार रुपये
₹ 1000

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

R 122607

(11)

दिनांक : 21-09-2012

प्रारूपकर्ता : पं० हरीश कुमार तिवारी, एडवोकेट, तहसील, झाँसी

टाईपकर्ता : अरविन्द कुशवाहा, तहसील झाँसी

निष्पादक, सत्यापित
श्री नवदीप शीवास्वामी
निवासी बिलाईपेठा पश्चात् २२/९/१२
द्वारा प्रस्तुत है।

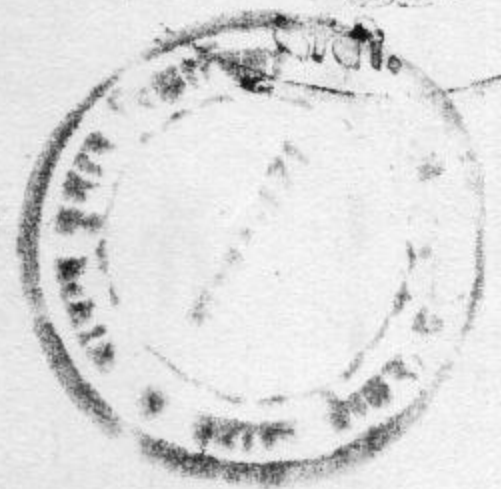
गवाह (1) नवदीप शीवास्वामी ९/० स्व मधुशेखर नारायण
५९०/१ कमल मिहें मालोनी, इलाहाबाद जिला झाँसी

गवाह (2) रामचंद्र गुप्ता ९/१ रामकिशोर गुप्ता
८६ (समकालीन कोला इलाहाबाद)

26/10/12

500
जमाना जेकरा एव डेवतपन ज. को हल/डा.
मनीज शमर जेकरा मद्रास नि रुबहा

हाते-40



आज दिनांक 19/10/2012 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 4025

पृष्ठ सं. 1 से 24 पर क्रमांक 9098

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

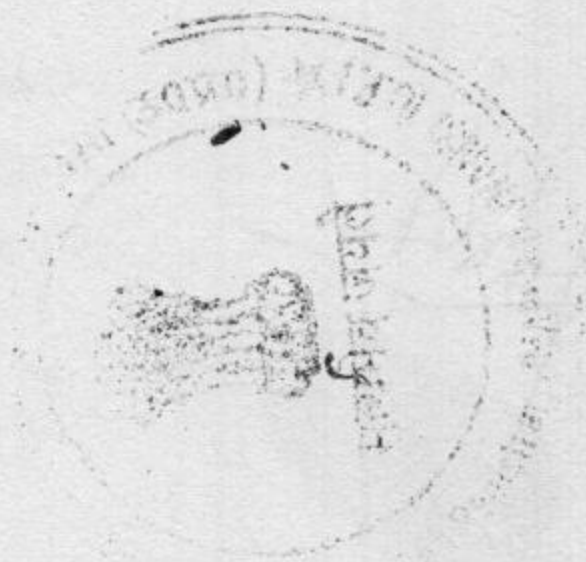
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजनाथ राम

उप निबन्धक द्वितीय

झाँसी

19/10/2012



जमाना जेकरा मद्रास नि रुबहा
वाड सं. 124/12-13
ता. 2/11/12

M.T.

नक्शा - नजरी

बिक्रेता का नाम श्री छत्रपाल.....

क्रेता का नाम.. ज.म. बाबा गोपाट

मौजा. हंसरी गिरी

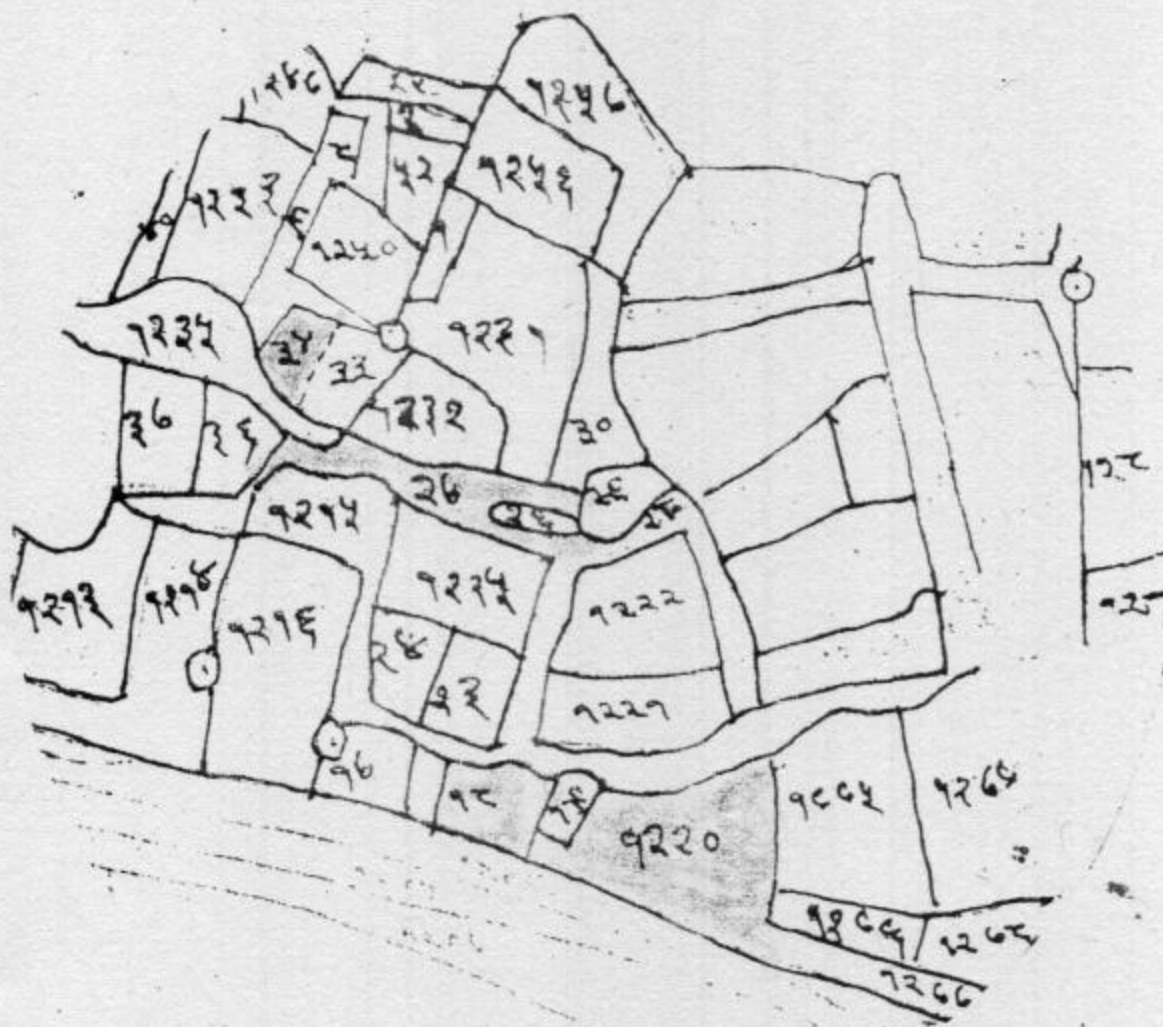
200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित

सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र

200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)

तहसील, परगना व जिला झाँसी से प्रदर्शित है।

भूमि नम्बर १२१८, १२१८ मि०, १२२० मि०,
१२२६, १२२६/१ मि०, १२३४/१ मि०,



[Signature]

[Signature]

[Signature]

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

MOHD KAMRAN KHAN
MAN (CIVIL)
A. A. JHANSI
19, ALIGOLE
JHANSI

